

अधिकारी

लय उपखण्ड

कटूमर (अलवर) राज.

9/10/2020

तारीख रजू

कुन्दनलाल

बनास मराम दगैरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म की  
तामील में जारी हुए

18.09.2020

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।


अतः अप्रार्थीगण को जय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 904, 904/1153, 909, 909/1154, 910, 911, 911/1155, 914, 915, 917, 903, 907, 908 वाके ग्राम डयोठाना तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 12.11.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 12.11.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कटूमर (अलवर)

13.10.2020

वकील पत्रावली काज शुरू करके के साथ मल्लिकेश्वर पेश करके वकील सायली ने अपने मूल वाद के Note Press के खारिज किया किया है। कता उपलब्ध नवाये जाने का कोई कोटिबन्ध नहीं है। अतः उपलब्ध नवाये जाने खारिज किया जाता है। पत्रावली में कता सुनार केबल नम्बर के काज के कर तहसील 20.10.20 के साथ सके है। सुनाया।

  
820K

NOTE PRESS  
